न्यायालय–कु० सीमा जगदल्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पेण्ड्रारोड जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)	
	निर्णय दिनांक–20–03–2025 दा०प्र०क्र०–821/22 अपराध क्रमाँक–227/22 थाना–गौरेला
अभियोजन	छत्तीसगढ़ राज्य द्वाराः–थाना–गौरेला जिला–गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छ०ग०)
अभियोजन द्वारा	कु० सुचिता सिंह ए०डी०पी०ओ ।
अभियुक्तगण	(01) मनमोहन सिंह राठौर, पिता–भाल साया राठौर, उम्र–24 वर्ष, निवासी–कुर्रीपारा, सारबहरा, थाना–गौरेला, जिला–गौ०पे०म० (छ०ग०) (02) दिलीप राठौर, पिता–गोकुल प्रसाद राठौर, उम्र–21 वर्ष, निवासी–बेलगहना, थाना–गौरेला, जिला–गौ०पे०म० (छ०ग०)
अभियुक्तगण द्वारा	श्रीमती मयुरा राठौर अधिवक्ता ।

घटना दिनांक	04.05.2022 – 05.05.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक	04.06.2022
अभियोग पत्र प्रस्तुति दिनांक	25.07.2022
आरोप विरचित दिनांक	10.04.2024
साक्ष्य प्रारंभ दिनांक	22.06.2024
निर्णय हेतु सुरक्षित रखे जाने की तिथि	20.03.2025
निर्णय दिनांक	20.03.2025
दण्डादेश दिनांक, यदि हो तो	–

– अभियुक्तगण का विवरण –

क्र.	अभियुक्त /गण का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की तिथि	आरोप	दोषमुक्ति अथवा दोषसिद्धी	दण्डा–देश	धारा–428 द०प्र०सं० के प्रयोजन हेतु अभिरक्षा अवधि
01	**मनमोहन सिंह राठौर**	**08.06.22**	**27.06.22**	**भा०द०सं० की धारा–457, 380, 34**	**दोषमुक्त**	**निरंक**	**20 दिवस**
02	**दिलीप राठौर**	**08.06.22**	**27.06.22**		**दोषमुक्त**	**निरंक**	**20 दिवस**

– अनुक्रमणिका –

क्र.	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	निणर्य का शीर्षक	01
02	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
03	आरोप	03
04	स्वीकृत तथ्य	03
05	अभियोजन कहानी	03–05
06	सकारण निष्कर्ष	06–10
07	दण्डादेश	–
08	संपत्ति का निराकरण	10
09	धारा–428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र	12
10	निणर्य की प्रति	01–12

// निर्णय //

(आज दिनांक 20–03–2025 को घोषित)

01– अभियुक्तगण के विरूद्ध यह आरोप है कि, उनके द्वारा दिनाँक 04.05.2022 से 05.05.2022 के दरमियान रात्रि 22.00 बजे से सुबह 03.00 बजे के मध्य स्थान–बांधामुड़ा अरियानटोला स्थित प्रार्थी कृष्णा भरिया के घर में सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी से छिपकर चोरी का अपराध करने की आशय से प्रवेश कर गृहभेदन किया तथा बेईमानीपूर्वक प्रार्थी के घर के बिस्तर पर रखे 03 नग मोबाईल क्रमशः Vivo T1 5G, Vivo Y12, Vivo Y20 G को प्रार्थी कृष्णा भरिया, रवि, दुर्गेश एवं अनुज के सहमति के बिना हटाकर चोरी किया ।

02– प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत एवं निर्विवादित तथ्य नहीं है ।

03– अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी कृष्णा भरिया ने दिनाँक 04.06.2022 को थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 04.05.2022 को रात्रि खाना खाने के बाद वह और उसका भाई रवि, दुर्गेश एवं भांजा अनुज सभी अपने नये मकान के अंदर दरवाजा बंद करके सोये थे । तीनों भाईयों का मोबाईल अपने बिस्तर में रखे थे । वे लोग रात्रि 10.00 बजे सो गये थे, जब रात्रि 03.00 बजे प्रार्थी का

भाई दुर्गेश पेशाब करने के लिए उठा और मोबाईल खोजा तो तीनों मोबाईल नहीं मिला । घर के खिड़की कपड़े से ढके हुए थे उसी कपड़े को कोई अज्ञात व्यक्ति हटाकर तीनों मोबाईल को चोरी करके ले गया था। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिली कि बस स्टैण्ड गौरेला में एक व्यक्ति मोबाईल बिक्री हेतु ग्राहक तलाश कर रहा है ।

04– अभियोजन का मामला आगे इस प्रकार है कि सूचना की तस्दीकी हेतु उसके बताये हुए स्थान पहुंचे तो एक संदिग्ध व्यक्ति घूमते हुये मिला जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम मनमोहन सिंह राठौर बताया जिससे और पूछताछ करने पर अपने दोस्त दिलीप राठौर के साथ मिलकर दिनाँक 04.05.2022 को प्रार्थी के घर से 03 नग मोबाईल चोरी करना बताया । चोरी किये हुए मोबाईल में से 02 नग Vivo T1 G एवं Vivo Y12 मोबाईल को अपने घर से निकाल कर पेश किया जिसे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपी दिलीप साहू से पूछताछ करने पर Vivo Y20 G मोबाईल को पेश किया गया जिसे जप्त कर कब्जे पुलिस लिया गया। आरोपीगण के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने से उनको विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

05– अभियुक्तगण के विरूद्ध **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–457, 380 सहपठित धारा–34** के तहत आरोप विरचित कर आरोप पत्र की विशिष्टियां पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा ।

06– अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध **धारा–313 सहपठित धारा–281 द०प्र०सं०** के अन्तर्गत अभियुक्त कथन निर्मित किया जाकर पूछे जाने पर अभियुक्तगण ने स्वयं को निर्दोष होना एवं प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया ।

07– **प्रकरण के निराकरण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित अवधार्य बिन्दु उद्भूत होते हैंः–**

I. क्या, अभियुक्तगण ने दिनाँक 04.05.2022 से 05.05.2022 दरमियान रात्रि 22.00 बजे से सुबह 03.00 बजे के मध्य स्थान–बांधामुड़ा अरियानटोला स्थित प्रार्थी कृष्णा भरिया के घर में सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी से छिपकर प्रवेश कर चोरी का अपराध करने की आशय से प्रवेश कर गृहभेदन किया ?

II. क्या, अभियुक्तगण ने उसी दिनाँक, समय व स्थान पर बेईमानीपूर्वक प्रार्थी के घर में बिस्तर पर रखे 03 नग मोबाईल क्रमशः Vivo T1 5G, Vivo Y12, Vivo Y20 G को प्रार्थी कृष्णा भरिया, रवि, दुर्गेश एवं अनुज के सहमति के बिना हटाकर चोरी किया ?

III. दोषसिद्धी एवं दण्डादेश ?

–:: निष्कर्ष के आधार एवं कारण ::–

– विचारणीय प्रश्न क्रमांक–I एवं II का सकारण निष्कर्ष –

08– विचारणीय प्रश्न क्रमांक–I एवं II का निष्कर्ष साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टिकोण से तथा साक्ष्य की पुनरावृत्ति को परिहार करने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से दिया जा रहा है ।

09– अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष अपराध साबित करने हेतु प्रार्थी कृष्णा भरिया (अ०सा०–01) एवं दुर्गेश भरिया (अ०सा०–02) का साक्ष्य कराया गया है ।

10– प्रकरण में **प्रार्थी कृष्णा भरिया (अ०सा०–01)** ने अपने

न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है । घटना दिनाँक को उसका एवं उसके भाईयों का घर के अंदर रखा तीन मोबाईल को अज्ञात व्यक्ति चोरी कर ले गया था । उसने अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया था । प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र०पी०–01 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रार्थी के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य एवं प्र०पी०–01 के अवलोकन से यह प्रमाणित पाया जाता है कि प्रार्थी के द्वारा घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था ।

11– अब इस तथ्य पर विचार किया जाना है कि क्या अभियुक्तगण के द्वारा दिनाँक 04.05.2022 से 05.05.2022 दरमियान रात्रि 22.00 बजे से सुबह 03.00 बजे के मध्य प्रार्थी के घर में छिपकर प्रवेश कर गृहभेदन कर बेईमानीपूर्वक प्रार्थी के घर में बिस्तर पर रखे 03 नग मोबाईल को प्रार्थी के समहति के बिना हटाकर चोरी किया । इस संबंध में **प्रार्थी कृष्णा भरिया (अ०सा०–01)** से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रार्थी ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा घटना दिनाँक 04.05.2022 को उसके घर पर घुसकर तीनों भाईयों का मोबाईल चोरी किया गया था । प्रार्थी ने इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा अपने मेमोरेण्डम कथन में यह बात बताई थी कि वह तीन नग मोबाईल की

चोरी किया था एक नग मोबाईल Vivo 20 G जो दिलीप राठौर के पास है और दो मोबाईल अपने पास रखा है चलकर बराबद करा देता हूं ।

12– इस साक्षी ने अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से भी इंकार किया है कि उसके समक्ष चोरीशुदा मोबाईल को जप्त किया गया था । **प्रार्थी के द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आरोपीगण से उसका न्यायालय के बाहर राजीनामा हो गया है** तथा यह इंकार किया गया है कि आरोपीगण से राजीनामा हो जाने के कारण वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा है । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज कराया गया था तथा उसने किसी पर शंका जाहिर नहीं किया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि उसे उसका मोबाईल प्राप्त हो गया है तथा उसने पुलिस वालों के कहने पर सभी दस्तावेजों पर थाने में ही हस्ताक्षर किया था ।

13– प्रकरण में अन्य अभियोजन साक्षी **दुर्गेश भरिया (अ०सा०–02)** ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में कथन किया है कि वह आरोपीगण को पहचानता है । उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है । पुलिस वालों ने उससे कोई पूछताछ नहीं किया था । उसे इस बात की भी जानकारी नहीं है कि प्रार्थी के द्वारा किसी बात को लेकर थाना–गौरेला में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । इस साक्षी

से अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर इस बात से इंकार किया है कि आरोपीगण के द्वारा घटना दिनाँक को उनके घर में घुसकर उसके एवं उसके दो भाईयों के मोबाईल को चोरी किया था, उक्त बात उसने अपने पुलिस बयान में बताई थी । इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी के द्वारा उनके घर के खिड़की से घुस कर उक्त चोरी की गयी थी । इस प्रकार प्रकरण में स्वयं प्रार्थी तथा अन्य अभियोजन साक्षियों ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है । अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्तगण पर अधिरोपित अपराध **धारा–457, 380, 34 भारतीय दंड संहिता** अभियोजन द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है । **फलतः विचारणीय प्रश्न क्रमाँक–I एवं II का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में निराकृत किया जाता है ।**

–विचारणीय प्रश्न क्र.–III का निष्कर्ष–
–दोषसिद्धी एवं दण्डादेश–

14– उपरोक्त संपूर्ण विवेचना के अनुसार अभियोजन यह युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्तगण ने दिनाँक 04.05.2022 से 05.05.2022 के दरमियान रात्रि 22.00 बजे से सुबह 03.00 बजे के मध्य स्थान–बांधामुड़ा अरियानटोला स्थित प्रार्थी कृष्णा भरिया के घर में सहअभियुक्तगण के साथ सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी से छिपकर प्रवेश कर चोरी का अपराध करने की आशय से

प्रवेश कर गृहभेदन किया तथा बेईमानीपूर्वक प्रार्थी के घर के बिस्तर पर रखे 03 नग मोबाईल क्रमशः Vivo T1 5G, Vivo Y12, Vivo Y20 G को प्रार्थी कृष्णा भरिया, रवि, दुर्गेश एवं अनुज के सहमति के बिना हटाकर चोरी किया ?

15– अतः निर्णय अनुसार अभियुक्तगण **मनमोहन सिंह राठौर एवं दिलीप राठौर** पर अधिरोपित अपराध **धारा–457, 380, 34 भारतीय दण्ड संहिता** को अभियोजन द्वारा युक्ति–युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहने से अभियुक्तगण को **भारतीय दण्ड संहिता की धारा–457, 380, 34** के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है ।

16– प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति 03 नग मोबाईल फोन क्रमशः– Vivo T1 5G, Vivo Y12, Vivo Y20 G पूर्व से सुपुर्दनामे पर है, अपील अवधि पश्चात अपील नहीं होने की स्थिति में उक्त जप्तशुदा मोबाईल फोन को पंजीकृत स्वामी के पक्ष में भारमुक्त किया जाए तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार निराकृत किया जाए ।

17– प्रकरण में अभियुक्तगण के द्वारा पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निर्णय दिनांक से 06 माह तक की अवधि के लिए **धारा–437(ए)**

द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रभावशील रहेगी ।

18– अभियुक्तगण की अभिरक्षा अवधि के संबंध में **धारा–428 द.प्र.सं.** के संबंध में पृथक से प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया गया ।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया ।

निर्णय मेरे निर्देशन में टंकित ।

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.03.20 18:13:16 +0530

(कु० सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड जिला–गौ.पे.म (छ०ग०)

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.03.20 18:13:28 +0530

(कु० सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड जिला–गौ.पे.म (छ०ग०)

स्थान–पेण्ड्रारोड (छ०ग०)
दिनांक–20.03.2025

–:: निरोध अवधि विवरण तालिका ::–
(धारा–428 द.प्र.सं.)

क्र.	अभियुक्तगण का नाम/पिता का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा दिनांक	जमानत पर रिहा दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की कुल अवधि जिसे समायोजित किया जाना है ।
01	मनमोहन सिंह राठौर, पिता–भाल साया राठौर, उम्र–24 वर्ष, निवासी–कुर्रीपारा, सारबहरा, थाना–गौरेला, जिला–गौ०पे०म० (छ०ग०)	08.06.22	08.06.22 – 27.06.22	27.06.22	20 दिवस
02	दिलीप राठौर, पिता–गोकुल प्रसाद राठौर, उम्र–21 वर्ष, निवासी–बेलगहना, थाना–गौरेला, जिला–गौ०पे०म० (छ०ग०)	08.06.22	08.06.22 – 27.06.22	27.06.22	20 दिवस

KU. SEEMA JAGDALLA
Digitally signed by KU. SEEMA JAGDALLA
Date: 2025.03.20 18:13:38 +0530

(कु० सीमा जगदल्ला)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
पेण्ड्रारोड जिला–गौ.पे.म (छ०ग०)

स्थान–पेण्ड्रारोड
दिनांक–20.03.2025